

न्यायालय : व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, अंजड जिला बड़वानी

{समक्ष : श्रीमती वंदना राज पाण्डेय}

दीवानी प्रकरण क्रमांक 15-ए/2016

संस्थित दिनांक- 02.05.2016

1. मनोरमाबाई बेवा हेमंत कुमार तेली, आयु 50 वर्ष,
2. रवि पिता हेमंत कुमार तेली, आयु 40 वर्ष,
3. शक्ति पिता हेमंत कुमार तेली, आयु 35 वर्ष,  
सभी का पेशा-कृषि, निवासीगण-ग्राम मदरान्या,  
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी

-वादीगण

वि रू द्ध

1. शनि पिता हेमंत कुमार तेली, आयु 37 वर्ष,
2. मनोज पिता जगन्नाथ तेली, आयु 40 वर्ष,
3. मुकेश पिता जगन्नाथ तेली, आयु 42 वर्ष,
4. चंद्र रेवा पिता जगन्नाथ तेली, आयु 43 वर्ष,  
सभी का पेशा-कृषि, निवासीगण-ग्राम मदरान्या,  
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी
5. जिलाधीश, बड़वानी

-प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा विद्वान अभिभाषक - श्री बी. के. सत्संगी
प्रतिवादीगण - पूर्व से एकपक्षीय

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 12/08/2016 को पारित)

**01-** वादी ने यह वाद प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 के विरुद्ध ग्राम मदरान्या, पटवारी हल्का नंबर 29, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी में स्थित खाता क्रमांक 80 कुल सर्वे क्रमांक 4 रकबा 3.610 हैक्टर की कृषि भूमि (जिसे प्रकरण में आगे सुविधा व संक्षिप्तता की दृष्टि से वादग्रस्त भूमि कहा जाएगा) पर स्वयं के स्वत्व की घोषणा एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 तथा मृत खातेदार हेमन्त, जगन्नाथ व मीराबाई के नाम राजस्व अभिलेख से हटाकर स्वयं के नाम पर उक्त भूमि दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया है।

**02-** प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण, प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 तथा मृत खातेदार हेमन्त, जगन्नाथ व मीराबाई के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

**03—** वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक—1 से 4 एवं हेमन्त पिता जगन्नाथ के नाम से दर्ज है तथा मीराबाई पिता जगन्नाथ के नाम से भी दर्ज है। हेमन्त पिता जगन्नाथ की मृत्यु दिनांक 10.04.2014 एवं मीराबाई पिता जगन्नाथ की मृत्यु दिनांक 09.03.2011 को हो चुकी है। मीराबाई की कोई संतान नहीं है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी क्रमांक—1 से 4 का कोई स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं है। उक्त प्रतिवादीगण अपनी ईच्छा और सहमति से वादग्रस्त भूमि से अपना नाम हटाना चाहते हैं। वादीगण ने दिनांक 04.04.2016 को तहसील न्यायालय ठीकरी में वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का नाम दर्ज करवाने के लिए दावा प्रस्तुत किया था, जहां से उन्हें सिविल न्यायालय जाने के लिए निर्देशित किया गया। इसलिए वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत किया है।

**03—** प्रतिवादी क्रमांक—1 से 4 ने समंस तामीली उपरांत स्वयं उपस्थित होकर वादोत्तर पेश किया, किन्तु उसके पश्चात वे अनुपस्थित हो गए और अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 05.07.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, किन्तु प्रतिवादी क्रमांक—1 से 4 ने वादोत्तर प्रस्तुत कर वादीगण का वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया है। तथा प्रतिवादी क्रमांक—5 के विरुद्ध वादीगण ने कोई सहायता नहीं चाही है, मात्र औपचारिक पक्षकार बनाया गया है।

**05—** प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :—

क.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि के एकमात्र स्वत्वधारी हो चुके हैं ?
ब	क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—1 से 4 तथा हेमन्त पिता जगन्नाथ एवं मीराबाई पिता जगन्नाथ के स्थान पर स्वयं का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं ?
स	सहायता एवं वाद व्यय ?

### विचारणीय प्रश्नों पर सकारण निष्कर्ष :-

**06—** प्रकरण में साक्ष्य के दोहराव को रोकने तथा सभी विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होने से सुविधा की दृष्टि से इनका एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

**07—** उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में वादी क्रमांक—1 श्रीमती मनोरमाबाई (वा.सा.—1) का कथन है कि वह तथा प्रतिवादी क्रमांक—1 से 4 एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि स्वयं के स्वत्व घोषणा और राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए यह वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की है एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 से 4 का नाम स्वत्वहीन रूप से दर्ज है तथा वादग्रस्त भूमि पर उनका नाम दर्ज करवाने में प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं है तथा शेष खातेदार मीराबाई पिता जगन्नाथ एवं

हेमन्त पिता जगन्नाथ की मृत्यु हो चुकी है, इस कारण वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 एवं मृतकगण का नाम कम कर वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए।

**08—** वादिनी ने अपने समर्थन में अपने पति हेमन्त कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रपी-1, जगन्नाथ पिता भागीरथ का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रपी-2, मीराबाई पिता जगन्नाथ का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रपी-3 प्रदर्शित कराए हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उक्त तीनों की मृत्यु होने से वह इनका नाम राजस्व अभिलेख से कम कराना चाहती है। वादिनी ने वादग्रस्त भूमि के वर्ष 2015-16 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रपी-4 व 5 एवं किश्तबंदी खतौनी खाता खसरा वर्ष 2015-16 की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रपी-6 लगायत 11 प्रदर्शित कराई हैं। वादिनी का यह भी कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का ही आधिपत्य है, इसके अलावा अन्य किसी खातेदार का आधिपत्य नहीं है। वादी क्रमांक-2 रवि (वा.सा.-2) ने भी वादिनी मनोरमाबाई (वा.सा.-1) के कथनों का समर्थन किया है।

**09—** वादी ने अपने समर्थन में जो दस्तावेज पेश किए हैं, वे वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं, जिनके कि अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के अलावा प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 के नाम भी वादग्रस्त भूमि पर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज हैं तथा वादिनी क्रमांक-1 के मृत पति हेमन्त, मृत ससुर जगन्नाथ तथा मृत पति की मृत बहन मीराबाई का नाम भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। स्पष्ट रूप से वादीगण के अलावा प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 एवं मृत व्यक्ति भी वादग्रस्त भूमि के स्वत्वधारी हैं तथा उक्त प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 का नाम विवर्जित कर वादीगण स्वयं का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराना चाहते हैं, इस संबंध में स्वत्व घोषणा कराना चाहते हैं, लेकिन उक्त प्रकृति का सिविल वाद प्रचलनयोग्य नहीं है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर किसी खातेदार का नाम हटाकर, चाहे स्वयं उसकी सहमति से हो, किसी अन्य पक्षकार का नाम प्रतिस्थपित करने का वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है और वास्तव में पक्षकारों को इसके संबंध में या तो विधिवत हक त्याग का पंजीयन कराना चाहिए अथवा राजस्व न्यायालय में प्रतिवादीगण को इस संबंध में वादीगण के पक्ष में सहमति प्रदान करना चाहिए।

**10—** अतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचन व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि वादग्रस्त भूमि के वे अकेले ही स्वत्वधारी हो चुके हैं अथवा वादग्रस्त भूमि पर वे प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 तथा मृत खातेदारों का नाम कम करवाकर स्वयं का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के अधिकारी हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद प्रमाणित नहीं होने से निरस्त किया जाता है। तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करें।

अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के अनुसार अथवा जो भी रकम प्रमाणित हुई हो अथवा दोनों में से जो कम हो, व्यय में जोड़ी जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

सही / —  
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—एक,  
अंजड़, जिला बड़वानी

सही / —  
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—एक,  
अंजड़, जिला बड़वानी

\_Steno/S.Jain